**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3090

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए रीडर या कम्प्यूटर की सुविधा**

**3090. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समिति ने विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष से अपनी परीक्षाएं लिखने के लिए कम्प्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड ने दिव्यांग विद्यार्थी के मामले में रीडर के प्रावधन को भी अनुमोदित किया है, यदि विद्यार्थी लेखक की सुविधा नहीं चाहता है तथा उसे प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है; और

(घ) क्या ऐसे सभी मामलों में विद्यार्थियों को चिकित्सक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (घ): केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा समिति की सिफारिश पर अपनी दिनांक 27.2.2018 की अधिसूचना सं. सीबीएसई-जेएस/कोड/16 फरवरी/ईसी/2018 द्वारा उसमें निहित कुछ शर्तों की पूर्ति की शर्त पर परीक्षा वर्ष 2018 और आगे के लिए विशेष आवश्‍यकता वाले अभ्‍यर्थियों (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) की श्रेणी को निम्‍नलिखित अतिरिक्‍त रियायत/सुविधा प्रदान करने के लिए सभी सीबीएसई संबद्ध स्‍कूलों को परामर्श दिया है:

* नि:शक्‍त छात्रों की वास्‍तविक आवश्‍यकता और कौशल के अनुसार परीक्षा देने में कम्‍प्‍यूटर का प्रयोग।
* रीडर का प्रावधान यदि नि:शक्‍त छात्र लेखक की सुविधा नहीं चाहता है और प्रश्‍नपत्र पढ़ने के लिए किसी व्‍यक्‍ति की आवश्‍यकता है।
* यदि कोई नि:शक्‍त छात्र निर्धारित दिनों के लिए स्‍कूल में उपस्‍थित नहीं रहा तो अनिवार्य उपस्‍थिति से छूट दी जा सकती है।

ये छूट केवल नि:शक्‍त जन अधिनियम (आरपीडब्‍ल्‍यूडी), 2016 में अधिसूचित सीडब्‍ल्‍यूएसएन श्रेणी के लिए मान्‍य है और मान्‍य चिकित्‍सा प्रमाणपत्र आवश्‍यक है।

**\*\*\*\*\***